शुद्धिपत्र

संख्या-464/2024/आई/757867/23-1-24-23-1002(002)/126/2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊः 30 सितम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल के 04 चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3054 मद में पत्र संख्या-10383/CE-HQ1/RSN3054/MBD/2024-25, दिनांक 18.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-461/2024/आई/756645/23-1-24/009-23-1002(002)/126/2024-पार्ट-1, दिनांक 27.09.2024 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 04 चालू कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत शासनादेश में त्रुटिवश शासनादेश संख्या-461/2024/आई/756645/ 23-1-24/009-23-1002(002)/126/2024-पार्ट-1 अंकित हो गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-461/2024/आई/756645/23-1-24/009-23-1002(002)/126/2024-पार्ट-1, दिनांक 27.09.2024 के स्थान पर शासनादेश संख्या-461/2024/आई/756645/23-1-24/009-23-1002(002)/126/2024, दिनांक 27.09.2024 पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2024 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-464/2024/आई/757867/23-1-24-23-1002(002)/126/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।